कार्यालय :–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा

क्रमांक / जि.वि.से.प्रा.भी. / 118 दिनांक :– 17/7/25

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्र क्रमांक F-2(37) / रालसा / DS-I/20000-35 दिनांक 24.11.2021 में दिये गये निर्देशानुसार जिला स्तर पर 07 (04 बनेड़ा पंचायत समिति हेतु) व तालुका स्तर पर 23 पैरा लीगल वॉलंटियर्स के पदों पर प्रशिक्षण हेतु चयन कर पैनल तैयार करने हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है ।

(1) शैक्षणिक योग्यता :– आवेदक को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सैकण्डरी परीक्षा कला, वाणिज्य तथा विज्ञान में अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने तथा पढ़ने की कुल मिलाकर अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिए।

(2) आवेदन पत्र :– इस परीक्षा हेतु अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में प्रस्तुत करना होगा ।

(3) परीक्षा– आवेदकों का प्रशिक्षण हेतु चयन करने के पश्चात् उन्हें प्रशिक्षण दिया जावेगा व प्रशिक्षण के पश्चात् पी.एल.वी. का साक्षात्कार लिया जाकर उन्हे प्रशिक्षण प्राप्त पी.एल.वी.माना जाकर उन्हें सफल घोषित किया जायेगा। सफल घोषित किये जाने के पश्चात् उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पहचान पत्र दिया जायेगा जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का प्रतीक चिन्ह होगा ।

(4) चरित्र – आवेदक द्वारा दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के सम्बन्धी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

(5) शारीरिक योग्यता – आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नहीं होना चाहिए ।

(6) आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किये जावे :–

1. जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकण्डरी स्कूल परीक्षा की अथवा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति
2. शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रति ।
3. दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए ।
4. आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो लगा होना चाहिए ।
5. बैंक पास बुक (आधार से लिंक खाते की) स्व प्रमाणित प्रति।

(7) आवेदन की अन्तिम तिथि – आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 11/08/2025 को सायं 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। तालुका स्तर के आवेदनकर्ता तालुका विधिक सेवा समिति कार्यालय पर भी आवेदन जमा करवा सकते है। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियॉं अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न न होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जावेगा एवं उस पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(8) पात्रता –पी.एल.वी.चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो उन्हे शोर्ट लिस्टिंग कर प्रशिक्षण के लिए बुलाया जायेगा । पी. एल.वी.चयन हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के सम्बन्ध में भी सुनिश्चित किया जायेगा व महिलाओं तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जायेगी। निम्नांकित व्यक्ति भी पी.एल.वी.की चयन हेतु आवेदन कर सकते है :–

सेवानिवृत अध्यापक या राजकीय कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, एम. एस.डब्ल्यू., छात्र व अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर/फिजीशियन, छात्र व विधि छात्र (जब तक वे लॉयर (वकालत) के लिए एनरोल न हो), गैर राजनीतिक सदस्य, एन.जी.ओ., क्लबस्, महिला ग्रुप, मैत्री संगम, स्वयं सहायता समूह, शिक्षित बंदी जिसका अच्छा व्यवहार हो व लम्बे समय से सजा काट रहा हो, अन्य व्यक्ति जिसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या तालुका विधिक सेवा समिति सक्षम व योग्य समझे ।

(9) चयनित पी.एल.वी.के कर्तव्य (ड्यूटी)

1. समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को उनके विधिक अधिकारों से अवगत कराना ।
2. आम नागरिकों के विवादों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोक अदालत व मध्यस्थता व राजीनामा के जरिये निस्तारित किये जाने की जानकारी देना ।
3. पी.एल.वी.द्वारा उनके क्षेत्र में होने वाले कार्यो पर नजर रखना व अन्याय होने की स्थिति में जरिये दूरभाष संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण को लिखित में या मौखिक रूप से अवगत कराना ।
4. पीड़ित व्यक्ति की समुचित देखभाल व दं.प्रं.सं.की धारा 357–ए के तहत समुचित मुआवजा मिलने बाबत् जानकारी देना ।
5. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा अधिकृतकिये जाने पर जेल, लॉकअप, मनोरोग अस्पताल, सम्प्रेषण गृह का निरीक्षण करना व उन्हें विधिक अधिकारों से अवगत कराना ।
6. बाल अधिकार, बाल श्रम, बालकों का गायब होना, कन्याओं का अवैध व्यापारसम्बन्धी अधिनियमों की अवज्ञा (वोयलेशन) होने पर नजदीकी विधिक सेवा संस्था को जानकारी देना ।
7. विवादों का सेटलमेंट, लोक अदालत, मध्यस्थता, मीडियेशन के बारे में जानकारी देना व उनकी उपयोगिता बताना ।
8. पी.एल.वी. द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तालुका विधिक सेवा समिति को उनके क्षेत्र में होने वाले विधिक सेवा कार्यक्रमों व शिविरों की जानकारी देना ।
9. पी.एल.वी.द्वारा आम जनता को यह भी जानकारी दी जायेगी कि स्थाई लोक अदालत द्वारा विवादों का निस्तारण, पोस्ट एण्ड टेलीग्राफ, दूरसंचार, विद्युत सप्लाई, बीमा व अस्पताल सम्बन्धी सेवाओं के विवाद कम खर्च में निस्तारित होते है ।
10. पी.एल.वी.द्वारा उनके क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं सम्बन्धी उपलब्ध कराये गये मेटेरियल को प्रचार व प्रसार करना ।

(10) स्पष्टीकरण :– यहां स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में पी.एल.वी.के कार्य हेतु इच्छुक अंकित करना आवश्यक है । आवेदन पत्र में यह भी अंकित करना होगा कि आवेदन किस स्थान अर्थात् जिला स्तर पर या तालुका स्तर पर पी.एल.वी.का कार्य करना चाहता है ।

(11) तालुका स्तर पर भर्ती का विवरण निम्न प्रकार है – आसीन्द 2, बिजौलियां 2, गंगापुर 4 (सहाड़ा हेतु 3 एवं रायपुर हेतु 1), गुलाबपुरा 2, जहाजपुर 3, कोटड़ी 3, माण्डल 4, माण्डलगढ़ 2, शाहपुरा 1।

(12) प्रत्येक तालुका के क्षेत्राधिकार में स्थित पंचायत समिति के स्थानीय निवासरत व्यक्तियों को ही जो अलग–अलग गांव के निवासी हो, को पैनल में चयनित किया जायेगा। स्थानीय निवासी ना मिलने पर पड़ौस की पंचायत समिति के निवासी के आवेदन पर विचार किया जायेगा।

(13) पूर्व में कार्यरत कोई पीएलवी जो वर्तमान पैनल में नहीं है तथा पुनः कार्य करने का इच्छुक हो तो वह भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

(14) भुगतान – पैरा लीगल वॉलियन्टर्स के रूप में उनका चयन किया जायेगा जो इसे आय का साधन समझकर नहीं आना चाहतें। चयन किए जाने वाले व्यक्ति में जरूरतमंदों की सेवा करने की भावना होनी चाहिए तथा शोषित और वंचित तबके के लिए करूणा, सहानुभूति तथा उनकी स्थिति बेहतर करने का संकल्प होना चाहिए। पैरा लीगल वॉलियन्टर्स को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा समय–समय पर निर्धारित मानदेय (Honorarium) राशि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का वेतन (Salary), प्रोत्साहन राशि (Remuneration) अथवा मजदूरी (Wages) देय नहीं होगी।

नोट :– आवेदन कर्ता संलग्न प्रारूप में आवेदन करे ।

सचिव
(जिला न्यायाधीश संवर्ग अधिकारी)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
भीलवाड़ा

कमांक :– 2993-3010 दिनांक :– 17/7/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भीलवाड़ा।
3. श्रीमान् जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा।
4. श्रीमान् अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, समस्त तालुका को भेजकर लेख है कि एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें तथा एक प्रति स्थानीय बार एसोसियेशन को उपलब्ध कराऐं।
5. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, सुवाणा।
6. अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, भीलवाड़ा।
7. अधीक्षक, जिला कारागृह, भीलवाड़ा।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा को समस्त पंचायत समितियों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।
9. जन सम्पर्क अधिकारी, भीलवाड़ा को स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
10. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय भीलवाड़ा को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

सचिव
(जिला न्यायाधीश संवर्ग अधिकारी)
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
भीलवाड़ा